हस्तक्षेप के आधार (Grounds of Intervention) परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत

हस्तक्षेप के निम्नांकित आधार थे

(1) आत्मरक्षा तथा आत्मसंरक्षण, (2) मानवता के आधार (3) सन्धि अधिकारों को लागू करने के लिए, (4) अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप, (5) शक्ति का सन्तुलन, (6) व्यक्तियों तथा उनकी सम्पत्ति का संरक्षण, (7) सामूहिक हस्तक्षेप (8) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु हस्तक्षेप तथा (9) गृहयुद्ध में हस्तक्षेप

इन आधारों को संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों ने काफी प्रभावित किया है तथा इनमें से कई अवैध हो गये हैं। उपर्युक्त आधारों में से आधार (3), (4), (5), (6) तथा (8) संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उपस्थिति में पूर्णरूप से अवैध हो गये। मानवता के आधार पर भी एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र भी इस आधार पर राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है परन्तु इसका एक अपवाद है। यदि अध्याय 7 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् यह निर्णय लेती है कि किसी राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को खतरा है तो संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही कर सकता है, अतः निम्नलिखित आधार वर्तमान समय में भी वैध हैं

(1) आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, (2) मानवता के आधार पर हस्तक्षेप,

(3) सामूहिक हस्तक्षेप तथा

(4) गृहयुद्ध के हस्तक्षेप ।

राज्यों के लिए केवल प्रथम आधार उपलब्ध है जबकि संयुक्त राष्ट्र के लिए शेष तीनों आधार उपलब्ध हैं। वैध आधारों की अब एक एक करके विवेचना की जायेगी।

इन

(1) आत्मरक्षा' (Self-defence) आरम्भ में ही यह नोट करना वांछनीय होगा कि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि में यह आधार आत्मरक्षा तथा आत्म-संरक्षण का आधार कहलाता था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अपनाने के पश्चात् यह आधार केवल आत्मरक्षा का अधिकार रह गया है। आत्मरक्षा की अपेक्षा आत्मसंरक्षण का अधिकार बड़ा ही व्यापक था। इसके अन्तर्गत इस आधार पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता था कि कोई अन्य राज्य आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इसके अतिरिक्त आत्म संरक्षण के किसी अन्य वैध कारण के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता था। इस प्रकार यह बहुत ही व्यापक आधार था। परन्तु आत्मरक्षा का अधिकार बड़ा ही सीमित अधिकार है। चार्टर के अनुच्छेद 51 में इस अधिकार के प्रयोग की कई परिसीमाएँ वर्णित की गई हैं। किसी राज्य को अपनी आत्मरक्षा हेतु दूसरे राज्यों के आन्तरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। प्रो० ओपेनहाइम के अनुसार आत्मरक्षा के सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि वह आत्म-संरक्षण के लिए आवश्यक हो। 13 इस सम्बन्ध में कैरोलिन (The Caroline, 1841) के बाद में अमेरिका के सचिव वेब्स्टर (Webster) ने महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार, शक्ति का प्रयोग तभी उचित होगा जबकि आत्मरक्षा की आवश्यकता शीघ्र प्रबल तथा ऐसी आवश्यकता हो जिसमें संबंधित राज्य के पास कोई और उपाय न हो तथा उसमें निर्णय लेने का भी कोई लक्षण उपलब्ध न हो। 14 (“The necessity which would be excused as a necessity of self-defence should be instant, over whelming and leaving no choice of means, and no moment for deliberation) प्रस्तुत वाद में, कुछ क्रांतिकारी कनाडा (जो ब्रिटिश उपनिवेश था) की सरकार को उलटना चाहते थे। इन क्रांतिकारियों को न्यागरा नदी के उस पार (अमेरिका क्षेत्र) में शस्त्र तथा मनुष्यों को भेजने का कार्य किया जा रहा था। विरोध करने पर भी जब अमेरिका ने कोई कार्यवाही नहीं की तो ब्रिटिश सैनिकों ने नदी पार करके कैरोलीन नामक जहाज को पकड़ लिया तथा उसमें आग लगाकर जलप्रपात की और बहता हुआ छोड़ दिया। यह सब अमेरिकी क्षेत्र में किया गया। ब्रिटेन का कहना था कि ऐसा करना आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था। परन्तु अमेरिकी मंत्री वेव्स्टर का कहना था कि आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप बहुत ही सीमित अधिकार है तथा उसके औचित्य के लिए उन्होंने उपर्युक्त वर्णित मापदण्ड रखा। उक्त हस्तक्षेप रात्रि में किया गया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को यह सिद्ध करना था कि उक्त कार्य के लिये दिन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी कि केवल जहाज को पकड़ना यथेष्ट नहीं हो सकता था, आवश्यकता वर्तमान तथा ऐसी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि निःशस्त्र लोगों को मारना तथा अन्य लोगों को घायल करना तथा तत्पश्चात् जहाज को जलाकर जलप्रपात की ओर बहते छोड़ देना आदि ऐसे कार्य किया जाना कदापि आवश्यक नहीं था। अमेरिका के अनुसार, उक्त कार्य आवश्यक नहीं थे।

ब्रिटेन उक्त मापदण्ड के अनुसार अपने कार्य तथा हस्तक्षेप के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सका तथा उसे खेद प्रकट करना पड़ा।

(2)